बिहार विधान परिषद्

समापन भाषण

माननीय नेता, सत्तारूढ़ दल
माननीया नेता, विरोधी दल
मंत्रिपरिषद् के माननीय सदस्यगण
विभिन्न दलों के माननीय नेतागण
बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण

बिहार विधान परिषद् के 193वां शीतकालीन सत्र का अब समापन हो रहा है। इस सत्र में कुल 5 बैठकें आयोजित हुईं। सत्र के दौरान प्रश्न, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल एवं निवेदन के माध्यम से जनहित के कई महत्वपूर्ण मामले सदन में लाए गए।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए जनहित की समस्याओं से जुड़े प्रश्नों के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है।

आज सत्र के अंतिम दिन सदन में महत्वपूर्ण विषय 'जल-जीवन-हरियाली' पर विशेष वाद-विवाद हुआ। इस विषय पर अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सारगर्भित वक्तव्य के माध्यम से बहुमूल्य सुझाव व्यक्त किया गया। 'जल-जीवन-हरियाली' अभियान के तहत सरकार द्वारा मिशन मोड में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। इस ज्वलंत एवं सामयिक विषय पर विशेष वाद-विवाद में सहभागिता के लिए सदन के सभी माननीय सदस्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं।

इस सत्र के लिए कुल 369 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, इनमें से 345 प्रश्नों को स्वीकृति प्रदान की गयी तथा 110 प्रश्न उत्तरित हुए। वर्तमान सत्र के लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में सदन की मेज पर रखने हेतु सरकार से अनुशंसा करता हूं।

इस सत्र के लिए कुल 69 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुईं, 40 सूचनाओं को कार्यक्रम पर लाया गया, जिनमें से 17 सूचनाएं उत्तरित हुईं तथा 23 सूचनाओं को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किया गया।

शून्यकाल की कुल 39 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 36 सूचनाओं को स्वीकृत कर सदन पटल पर लाया गया, 02 सूचनाएं व्यपगत हुईं तथा 01 सूचना अस्वीकृत की गई।

निवेदनों की कुल 59 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सभी निवेदनों को सदन की सहमति से निवेदन समिति को सुपुर्द किया गया।

इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2019-2020 की द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर हुआ। कई विधायी एवं वित्तीय कार्यों के सफलतापूर्वक निष्पादन के साथ-साथ निम्न महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए गए :

(1) बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1982-83 एवं 2004-05) (संख्या-2) विधेयक, 2019

(2) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019

(3) बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019

(4) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2019

बिहार विधान परिषद के विगत सत्र से नेशनल ई-विधान (नेवा) का सफलतापूर्वक उपयोग हो रहा है। माननीय सदस्यों ने इसमें विशेष अभिरुचि दिखाई है।

वर्तमान सत्र में माननीय सदस्यों से प्राप्त सभी तारांकित प्रश्न, अल्पसूचित प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं निवेदन 'नेवा' के माध्यम से विभागों को भेजा गया है।

विभिन्न विभागों द्वारा इस सत्र में कुल 46 तारांकित प्रश्न, 13 अल्पसूचित प्रश्न एवं 4 ध्यानाकर्षण सूचनाओं के उत्तर 'नेवा' को प्राप्त हुए हैं। यह आंकड़ा काफी उत्साहजनक है। हम आशा करते हैं कि यह आंकड़ा उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे 'नेवा' सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे ताकि अधिक से अधिक जनहित के मामलों को सीमित समय में निष्पादित कराया जा सके।

मैं सदन को मर्यादित एवं अनुशासित रूप से चलाने में रचनात्मक सहयोग देने के लिए सभी दल के नेताओं एवं माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीया नेता, विरोधी दल, माननीय मुख्य सचेतक एवं माननीय सचेतकगण का आभारी हूं क्योंकि इन्होंने अपने दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय दिया। मैं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सदन की कार्यवाही को प्रकाशित और प्रसारित करते हुए जन सामान्य से हमारे रिश्ते को प्रगाढ़ करने की जिम्मेदारी निभायी है।

मैं बिहार विधान परिषद् के कार्यकारी सचिव एवं परिषद् सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से संसदीय कार्यों के संचालन में मेरा भरपूर सहयोग किया है।

मो. हारूण रशीद

कार्यकारी सभापति

28 नवम्बर, 2019